



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएण्डए/ भर्ती/ सीएनएसआरयू अनु./ अधिसूचना 11/

एसपीओ व पीओ/ 2026/2 दिनांक 14 अगस्त 2026

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरल अनुसूची 'ए' कंपनी, **सीएसएल अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू), श्री विजयापुरम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह** में अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ परियोजना अधिकारियों और परियोजना अधिकारी के निम्नलिखित पदों को भरने हेतु भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करता है:-

I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:

तालिका 1

क्र.सं	पदों का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1.	अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ परियोजना अधिकारी (सुरक्षा)	क. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुरक्षा इंजीनियरिंग में डिग्री या ख. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिग्री। या ग. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या रसायन विज्ञान में डिग्री या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिप्लोमा। और	वरिष्ठ परियोजना अधिकारी (सुरक्षा) के लिए अनुभव: अनिवार्य :- इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के पास न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा अन्य डिग्री/डिप्लोमा धारकों के पास शिपयार्ड/कारखाना में उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षण या प्रबंधन के पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार के पास शिपयार्ड/कारखाना में एचएसई (स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण) से संबंधित गतिविधियों को संभालने का अनुभव होना चाहिए।
2.	अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (सुरक्षा)	ड. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र * * निम्नलिखित मामलों में औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है:- (i) जो उपरोक्त खंड (क) में निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों। (ii) जो उपरोक्त खंड (ख), (ग) और (घ) में निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों तथा सुरक्षा में एक वर्ष का अनुभव रखते हों।	परियोजना अधिकारी (सुरक्षा) के लिए अनिवार्य :- इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के पास कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अन्य डिग्री/डिप्लोमा धारकों के पास शिपयार्ड/कारखाना में उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षण या प्रबंधन की स्थिति में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार के पास शिपयार्ड/ कारखाना में एचएसई (स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण) से संबंधित गतिविधियों को संभालने का अनुभव होना चाहिए।

II. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत	:	14 अगस्त 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	31 अगस्त 2026

III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण

तालिका 2

1	अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ परियोजना अधिकारी (सुरक्षा)	1 (अनारक्षित)
2	अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (सुरक्षा)	1 (अनारक्षित)
कुल		2 (अनारक्षित)

- क) रिक्तियों की संख्या बढ़ाने / घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।
- ख) इस कार्य में कार्यस्थलों, शॉपों, गोदियों, निर्माणाधीन और मरम्मतधीन पोतों का बार-बार दौरा करना, खड़ी सीढ़ियों पर ऊपर-नीचे चढ़ना, संकरे रास्तों और मैनहोल से होकर गुजरना, सीमित स्थानों में काम करना, ऊंचाई पर काम करना आदि शामिल है। यह पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों और अन्य लोगों की सुरक्षा को उच्च जोखिम है।

IV. अनुबंध की अवधि और तैनाती का स्थान:

- क) अनुबंध की अवधि परियोजना की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के अधीन **पांच वर्ष** के लिए हैं।
- ख) **तैनाती सीएसएल अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू), श्री विजयापुरम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह / सीएसएल के अन्य यूनिटों / सीएसएल द्वारा वांछितानुसार परियोजना स्थलों पर होगी।** पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

V. पारिश्रमिक:

- क) पदों के लिए पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार हैं:

वरिष्ठ परियोजना अधिकारी:

अनुबंध अवधि	समेकित वेतन (प्रति माह)	प्रति माह अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए मुआवजा सीएसएल सीएनएसआरयू की नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार।
प्रथम वर्ष	₹ 63,100/-	
द्वितीय वर्ष	₹ 65,200/-	
तृतीय वर्ष	₹ 67,300/-	
चौथा वर्ष	₹ 69,400/-	
पांचवां वर्ष	₹ 71,500/-	

परियोजना अधिकारी:

अनुबंध अवधि	समेकित वेतन (प्रति माह)	प्रति माह अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए मुआवजा सीएसएल सीएनएसआरयू की नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार।
प्रथम वर्ष	₹ 49,100/-	
द्वितीय वर्ष	₹ 51,200/-	
तृतीय वर्ष	₹ 53,300/-	
चौथा वर्ष	₹ 55,400/-	
पांचवां वर्ष	₹ 57,500/-	

VI. आयु:

- क) अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी के पद के लिए, आयु सीमा दिनांक 31 अगस्त 2026 को 30 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 01 सितंबर 1996 को या उसके बाद होना चाहिए।
- ख) अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ परियोजना अधिकारी के पद के लिए, आयु सीमा दिनांक 31 अगस्त 2026 को 35 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 01 सितंबर 1991 को या उसके बाद होना चाहिए।
- ग) भूतपूर्व सैनिकों की आयु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। फिर भी, किसी भी मामले में, आयु में सभी छूट लागू करने के बाद आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक न हो।

VII. चयन की विधि:

- क) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार रखता है और केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।
- ख) ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, लघुसूचीगत करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा सीएसएल कोट्टी या सीएसएल एएन पोत मरम्मत यूनिट, श्री विजया पुरम में आयोजित की जा सकती है। यदि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाती है, तो अंकों को केवल लघुसूचीगत करने के लिए माना जाएगा, न कि रैंक सूची तैयार करने के लिए। आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में सीएसएल लिखित परीक्षा आयोजित न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ग) चयन की विधि पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से होगी। **केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए लघुसूची किया जाएगा।** पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और

वैयक्तिक साक्षात्कार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्ची या सीएसएल एएन पोत मरम्मत यूनिट, श्री विजया पुरम में आयोजित किया जाएगा। अंतिम चयन के लिए निम्नलिखित मापदंडों को अंक दिए जाएंगे:

- कार्य अनुभव का आकलन करने के लिए पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण - 80 अंक
- वैयक्तिक साक्षात्कार - 20 अंक

कुल - 100 अंक

घ) पदों के लिए रैंक सूची उम्मीदवारों द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो, पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होंगे। उसके बाद टाई होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्धारण किया जाएगा।

VIII. शर्तें:

क) आरक्षण

- i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- ii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा:-
 - जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी बजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
 - मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट
 - राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो
 - उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।
- iii) यदि आवेदक अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ अ.पि.व (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में एक वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों के लिए लागू रियायतों या छूटों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

ख) योग्यता

- i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

- ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) किसी आवेदकों को पदों के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।

ग) अनुभव

- i) उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 31 अगस्त 2026 से की जाएगी।
- ii) पदों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पारिश्रमिक सहित प्रशिक्षण को अनुभव माना जाएगा।
- iii) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्रों पर ही चयन प्रक्रिया में लघुसूची करने हेतु विचार किया जाएगा।
- iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश /प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने के लिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- v) पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्ववाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है। ऐसे आवेदकों को ईएसआई/इपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vi) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन

किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

vii) जो इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि अनुसार सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के अंतिम वर्ष में है, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में है, वे समान पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

viii) आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों, संबंधित कार्यों में संभाली गई जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान प्रमाण के रूप में अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

घ) आवेदन शुल्क:

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 14 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**

ङ) आवेदन कैसे करें

- i) **आवेदकों को वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएनएसआरयू, अंडमान) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढ़ना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं—एक बार पंजीकरण और लागू पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।**

- ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक **एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।** अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→ सीएनएसआरयू, अंडमान) के माध्यम से दिनांक 14 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक प्राप्त की जा सकती है। **सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाण पत्र और एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **"प्रगति में"** के रूप में (इन प्रोसेस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद, उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **"प्रगति में"** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। **आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल/ सीएनएसआरयू के साथ किसी भी पत्राचार के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क सीएसएल / सीएनएसआरयू को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- viii) वेबसाइट दिनांक 14 अगस्त 2026 से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **31 अगस्त 2026** है। अंतिम तिथि पर

वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। **आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

च) सामान्य

i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर- योद्धा के रूप में सेवा की है, और

i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।

iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल

career.cansru@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल/सीएनएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल/सीएनएसआरयू द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**
- vi) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- vii) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- viii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएनएसआरयू, अंडमान) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएनएसआरयू, अंडमान) को बार- बार देखें।
- ix) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

- xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी होने तक। यदि रैंक सूची से शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन सहित रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने के लिए भी किया जा सकता है।
- xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएनएसआरयू की ओर से निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।
- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल एन पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू), श्री विजयापुरम अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- xvi) चयनित उम्मीदवारों को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।
- xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण के लिए हमें कृपया career.cansru@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)